

Request-139

नं० L 373



एडवोकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र

एडवोकेट्स अधिनियम, १९६१ की

धारा २२ (१) के अंतर्गत प्रदत्त

क्रमांक उत्तर प्रदेश ४०६३ सन् २००६

प्रमाणित किया जाता है कि

श्रीमती/कुमारी/श्री अश्वनी पवार  
पत्नी/आत्मजा/आत्मज श्री ओम पाल सिंह पवार  
जिला मेरठ आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के  
अन्तर्गत एडवोकेट स्वीकृत किए गए तथा उनका नाम एडवोकेट्स अधिनियम,  
१९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौंसिल द्वारा अनुरक्षित एडवोकेट पंजिका में  
अंकित कर लिया गया।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १६ जुलाई २००६ को  
बार कौंसिल द्वारा मुद्रांकित तथा हमारे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

इलाहाबाद

इस प्रमाण-पत्र के अंगस्वरूप मुद्रांक शुल्क  
हेतु रू० ५००/- का मुद्रांक-पत्र एतत्सह संलग्न है

प्र. नं. २५१३

सचिव

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

हि. राय  
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश